

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी

प्रलिस के लिये:

सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी, मौलिक अधिकार, इन वटिरो फरटलाइजेशन

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तकषेप, महिलाओं से संबधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार बनाने हेतु व्यक्तिगत पसंद एक मौलिक अधिकार है और इसके लिये ऊपरी आयु सीमा तय करना प्रतबिध जैसा है, अतः इस पर पुनर्वचिार किये जाने की आवश्यकता है।

संबधति मुद्दा:

- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी [Assisted Reproductive Technology- ART] (वनियिमन) अधनियिम, 2021 के तहत महिलाओं के लिये 50 वर्ष और पुरुषों हेतु 55 वर्ष की आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाओं का नपिटारा करते हुए न्यायालय ने नरिदेश पारति कया है।
 - याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, ART अधनियिम की धारा 21 (G) के तहत ऊपरी आयु सीमा का नरिधारण तरकहीन, मनमाना, अनुचति और प्रजनन के उनके अधिकार का उल्लंघन है कयोंकि इसे मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कया गया है।
 - याचिकाकर्त्ताओं ने इसे असंवैधानिक घोषति करने की मांग की।
- उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एवं सरोगेसी बोर्ड को केंद्र सरकार को सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये नरिधारति ऊपरी आयु सीमा पर फरि से वचिार करने की आवश्यकता के बारे में सचेत करने का नरिदेश दया है।
- इसके अलावा याचिकाकर्त्ताओं ने उस प्रावधान को भी चुनौती दी है जसिमें चकित्सकों को भारतीय दंड संहति (Indian Penal Code-IPC) के दायरे में लाया गया है और अपराधों को संज्जेय बनाया गया है।
 - ये प्रावधान देश भर में IVF चकित्सकों को डरा रहे हैं, उन्हें मुकद्मा चलाए जाने के डर से अपने पेशेवर दायतियों को पूरा करने से हतोत्साहति कर रहे हैं।

ART (वनियिमन) अधनियिम, 2021 के प्रावधान:

- कानूनी प्रावधान:
 - नेशनल अससिटेड रपिरोडकटवि टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड की स्थापना वर्ष 2021 के ART (वनियिमन) अधनियिम द्वारा सरोगेसी कानून को लागू करने की एक वधि के रूप में की गई थी
 - इस अधनियिम के उद्देश्यों में ART क्लीनिक और बैंकों का वनियिमन एवं नरिक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम तथा ART सेवाओं से संबधति सुरक्षति और नैतिक प्रावधान शामिल हैं।
- ART:
 - इस अधनियिम के अनुसार, ART से तात्पर्य उस वधि से है जसिमें गर्भावस्था के लिये कसिी महिला के प्रजनन तंत्र में युग्मकों (Gametes) को स्थानांतरति कया जाता है। इनमें जेस्टेशनल सरोगेसी, इन वटिरो फरटलाइजेशन (IVF) और युग्मक दान (शुकराणु या अंडे का) शामिल हैं।
 - ART सेवाएँ नमिनलखिति माध्यम से प्रदान की जाएंगी: (i) ART से संबधति उपचार और प्रक्रियाएँ प्रदान करने वाले ART क्लीनिक और (ii) ART बैंक, जो युग्मक (Gametes) का संग्रह, जाँच और भंडारण करते हैं।
- दाताओं के लिये पात्रता संबंधी शर्तें:
 - सीमेन प्रदान करने वाले पुरुष की आयु 21 से 55 वर्ष तथा अंडाणु दान करने वाली महिला की आयु 23-35 वर्ष के बीच होनी चाहति है। महिला द्वारा अपने जीवनकाल में केवल एक बार अंडाणु दान कया जाएगा तथा दान कये जाने वाले अंडाणुओं की अधिकतम संख्या 7 होगी। कोई बैंक एकल दाता के युग्मक को एक से अधिक कमीशनगि पार्टी (युगल अथवा आकांक्षी एकल महिला) को नहीं दे

सकता है।

■ **संबंध शर्तें:**

- केवल कमीशनगि पार्टियों (वह व्यक्ति जो नैदानिक परीक्षण शुरू करने, निर्देशित करने या वित्तपोषण करने का प्रभारी होता है) और दाता की लिखित स्वीकृति के बाद ही ART उपचार किया जा सकता है। दाताओं की सुरक्षा (किसी भी नुकसान, क्षति या मृत्यु की स्थिति) के लिये कमीशनगि पार्टी को बीमा संबंधी प्रबंधन करना आवश्यक होता है।

■ **ART से पैदा हुए बच्चे के अधिकार:**

- ART से पैदा हुए बच्चे को दंपत्ति के जैविक बच्चे के रूप में माना जाएगा और प्राकृतिक रूप से पैदा हुए बच्चे के समान सभी अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के लिये पात्र माना जाएगा। दाता (Donor) का बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होगा।

■ **कमियाँ:**

○ **अवविाहति और वषिमलैंगिक(Heterosexual) जोड़ों का बहष्कार:**

- यह अधिनियम अवविाहति, तलाशुदा और वधिर पुरुषों, अवविाहति रूप से सहवास करने वाले वषिमलैंगिक जोड़ों, ट्रांस व्यक्तियों और समलैंगिक जोड़ों (चाहे वविाहति या साथ रहने वाले) को ART सेवाओं का लाभ लेने से वंचित करता है।
- यह बहष्करण प्रासंगिक है क्योंकि [सरोगेसी अधिनियम](#) उपरोक्त व्यक्तियों को प्रजनन की एक वधि के रूप में सरोगेसी का सहारा लेने से भी मना करता है।

○ **प्रजनन विकल्पों को कम करना:**

- यह अधिनियम उन कमीशनगि (Commissioning) जोड़ों तक भी सीमित है जो बाँझ हैं - जो असुरक्षित सहवास के एक वर्ष के बाद गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार यह उपयोग हेतु सीमित है और बाहरी लोगों के प्रजनन विकल्पों को काफी कम कर देता है।

○ **अनयंत्रित कीमतें:**

- सेवाओं की कीमतें अनियमित नहीं हैं, इस समस्या को निश्चित रूप से सरल निर्देशों के साथ दूर किया जा सकता है।

आगे की राह

- अनविरय परामर्श स्वतंत्र संगठनों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिये, न कि क्लिनिक नैतिकता समितियों द्वारा।
- सभी ART निकायों के लिये राष्ट्रीय हति, वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के मामले में केंद्र एवं राज्य सरकारों के निर्देश बाध्यकारी होने चाहिये।
- लाखों लोगों को प्रभावित करने से पहले उठाए गए सभी संवैधानिक, चकित्सा-कानूनी, नैतिक और नयामक चिंताओं की पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिये।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)